माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में

रिट याचिका (एस/एस) सं0–723 सन् 2021

गिरीश कुमार .... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .... उत्तरदाता।

के साथ

रिट याचिका (एस/एस) सं0–1351 सन् 2017

गिरीश कुमार ... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... उत्तरदातागण।

के साथ

रिट याचिका (एस/एस) सं0– 2169 सन् 2018

गिरीश कुमार ... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... उत्तरदातागण।

के साथ

अवमानना याचिका सं0–305 सन् 2020

गिरीश कुमार ... याचिकाकर्ता।

बनाम

आर0के0 कुंवर ... उत्तरदाता।

अधिवक्तागणः याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता– श्री एस0एस0 यादव,

राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता–श्री पी0सी0 बिष्ट,

जस्टिस, माननीय शरद कुमार शर्मा.

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

इस न्यायालय के समक्ष बहस के तथ्यों पर विचार किया जाता है, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बढ़ाया गया है, क्योंकि रिट याचिका (एस/एस) सं0–723 सन् 2021, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अपने मामले को गंभीरता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया है, को न्यायालय के लिए उस तरीके से निपटना अपरिहार्य हो जाता है।

2. मुकदमों की श्रृंखला का विवरण देने का प्रयास करने से पहले, इस न्यायालय को यह अवलोकन करना उचित लगता है कि लगभग छह रिट याचिकाओं में लगातार मुख्य अनुतोष और वाद हेतुक शुरू में प्रवक्ता के पद पर और बाद में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की मांग करती हैं। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.03.2017 को एक **रिट याचिका (एस/एस) नं0–463 सन् 2017, गिरीश कुमार बनाम राज्य व अन्य**, दायर की थी। जिसमें संक्षेप में उन्होंने कहा है कि उन्हें दिनांक 17.07.1990 को अस्थाई तौर पर प्रवक्ता (भौतिकी) के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद, उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों में तैनात किया गया था। नियुक्ति के बाद वह सरकारी इंटर कॉलेज, मनन, अल्मोड़ा में प्रवक्ता (भौतिकी) के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ बीमारियों से पीड़ित होने के कारण उन्होंने किसी अन्य संस्थान में अपना स्थानांतरण करने के लिए अपने हस्तगत मामले को योजित किया है।

3. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि चूंकि उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए उसने पहले भी एक **रिट याचिका (एस/एस) नं0–175 सन् 2010** इस आशय से दायर की थी कि उसे अस्थमा का रोगी मानते हुये, जिससे वह पीड़ित था, किसी उचित स्थान पर भेजा जाये जो उसकी शारीरिक समस्या के अनुकूल हो। उक्त रिट याचिका को इस अदालत की समन्वय पीठ द्वारा निपटाया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी नं0–7 ने प्रवक्ताओं के स्थानांतरण के लिए एक परिपत्र जारी किया था और याचिकाकर्ता के द्वारा अभ्यावेदन दिनांकित 24.11.2016 के द्वारा उचित स्थान पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस/एस) नं0–463 सन् 2017 दायर की जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की थीः–

''क) प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाये कि प्रतिवादी सं0–1 याचिकाकर्ता की बीमार स्थिति को देखते हुये जिला उधम सिंह नगर या जिला हरिद्वार या जिला

नैनीताल के मैदानी क्षेत्र या जिला देहरादून के मैदानी क्षेत्र के सरकारी महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त स्थान दर्शाते हुए पदोन्नति का आदेश पारित करें।

ख) प्रतिवादी सं0–1 व 2 को परमादेश की प्रकृति के रिट आदेश या निर्देश जारी किये जाये कि प्रतिवादी सं0–1 व 2 याचिकाकर्ता के मामले को दिनांक 24.11. 2016 से दो सप्ताह के भीतर या हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हेडमास्टर की पदोन्नति सूची का परिणाम घोषित करने से पहले मामले को निस्तारित करें।

ग) कोई अन्य रिट या निर्देश जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उचित समझे, जारी करें।

घ) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिलाया जाये।''

5. वास्तव में, संक्षेप में, यदि उपरोक्त रिट याचिका की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाता है, तो यह हस्तांतरण का एक पहलू है जिसे याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से शारीरिक स्थितियों के कारण मांग रहा था लेकिन परमादेश अनुतोष खंड में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नं0–1 के विरूद्ध यह उचित आदेश चाहा था कि उनकी पदोन्नति की तैनाती एक उचित स्थान पर की जाये। उन्होंने आगे परमादेश आदेश जारी करने की प्रार्थना की, कि उत्तरदाता, याचिकाकर्ता के मामले को निस्तारित करें। उनके द्वारा दिनांक 24.11.2016 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को एक अभ्यावेदन दिया गया जिसमें उनकी समस्या के निम्नलिखित प्रभाव के निवारण के लिये प्रार्थना की गयी थीः–

'' अतः श्री रामकृष्ण पुनियाल अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अनुसार पदोन्नति पर कोई प्रभाव/असर नहीं हो। अतः उपरोक्तनुसार आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी पदोन्नति नहीं रोकी जाये। प्रधानाचार्य श्री महेश चन्द्र शर्मा स्थानान्तरण के लिए तीन बार लिख चुके हैं तथा शिक्षा विभाग के मांगने पर पदोन्नति के लिये 01 बार लिख चुके हैं तथा पत्राचार भी भेज चुके हैं।

मैं पदोन्नति के माध्यम से विद्यालय चलाउॅगा। अतः आपका आभारी रहूंगा।

आपकी महान दया होगी।''.

6. यदि रिट याचिका के संलग्नक 1 पर विचार किया जाता है, तो पहले की रिट याचिका (एस/एस) सं0–175 सन् 2010, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया

था, जिसमें उसके स्थानान्तरण दिनांकित 22.08.2009 को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसका निपटारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपने आदेश दिनांकित 01.04.2010 के माध्यम से किया था, जिसमें निदेशक शिक्षा, उत्तराखंड को याचिकाकर्ता के स्थानान्तरण को रद्द करने के लिये मांगे गये अनुतोष के सम्बन्ध में दिये गये अभिवेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये थे। न्यायालय द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देश नीचे दिये गये हैः–

> ''अभिलेख पर लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस रिट याचिका को निस्तारित करते हुये सम्बन्धित प्राधिकरण को निर्देशित करता हूं कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के अभिवेदन को निस्तारित करते हुये एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें।''

7. उक्त रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने परमादेश आदेश के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित कर दिया है, जिस पर अंततः इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था तथा उक्त रिट याचिका को निर्णय दिनांकित 27.03.2017 से निस्तारित करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

> ''याचिकाकर्ता के अधिवक्ता–श्री एस0एस0 यादव,
>
> राज्य/प्रतिवादी सं0–1 से 4 की ओर से स्थायी अधिवक्ता– श्री विकास पांडे सुना।
>
> याचिकाकर्ता उच्च पद पर पदोन्नति के लिए फीडर कैडर में है। याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसकी पदोन्नति के बाद उसे दूरदराज के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
>
> तदनुसार, रिट याचिका को निस्तारित करते हुये प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के पदोन्नति से सम्बन्धित मामले पर विचार करें और यदि उसे पदोन्नत किया जाता है, तो उसे दुर्गम या कठिन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।''

8. रिट याचिका को फिर से निस्तारित किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण को निर्देशित किया गया है कि वह विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के पदोन्नति से

सम्बन्धित मामले पर विचार करें और यदि उसे पदोन्नत किया जाता है, तो उसे दुर्गम या कठिन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।

9. इस न्यायालय की समन्वय पीठ के द्वारा निर्णय दिनांकित 27.03.2017 से उपरोक्त रिट याचिका के निस्तारण के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा एक अन्य रिट याचिका **(एस/एस) नं0–1351 सन् 2017** दिनांकित 08.06.2017 को प्राथमिकता दी गयी, जो पहले के निर्णय के 3 महीने के भीतर आयी थी जिसमें उन्होंने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की हैः–

''क) उत्प्रेषण लेख की प्रकृति का एक रिट आदेश एवं निर्देश प्रतिवादी सं0–2 द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.05.2017 को रद्द करने हेतु जारी करें। (अनुलग्नक सं0–10 इस रिट याचिका के लिए)।

ख) प्रतिवादी नं0–1 के विरूद्ध परमादेश की प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी करें कि प्रवक्ता की पदोन्नति के लिए परामर्श के लिए बुलाने पर परामर्श सूची के रूप में नामित कनिष्ठ प्रवक्ता के मामले में जिनमें श्री अतुल कुमार अग्रवाल (4733), श्री प्रेम चंद्र पाठक (4737), श्री घनश्याम भट्ट (4742ए) व श्री डॉ. संजय त्रिपाठी (4742) (वरिष्ठता सूची और परामर्श सूची के क्रम संख्या 20, 21, 22, 23) या रिट याचिका के निस्तारित होने तक याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए एक पद आरक्षित रखें।

ग) प्रतिवादी नं0–1 के विरूद्ध परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाये कि प्रतिवादी सं0–1 याचिकाकर्ता की बीमार स्थिति को देखते हुये जिला–उधम सिंह नगर या जिला–हरिद्वार या जिला–नैनीताल के मैदानी क्षेत्र या जिला–देहरादून के मैदानी क्षेत्र के सरकारी महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त स्थान दर्शाते हुए पदोन्नति का आदेश पारित करें।

घ) कोई अन्य रिट या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, जारी करें।

ड़) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को सौंप अधिनिर्णय''

10. वास्तव में, यदि रिट याचिका में मांगे गये अनुतोष पर विचार किया जाता है, तो याचिकाकर्ता ने लिखित याचिका (एस/एस) संख्या–463 सन् 2017. में दिए गए निर्णय के अनुपालन में निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती दी है। साथ ही, उत्तरदाता सं0–1 को यह निर्देश देने के लिये कि परमादेश रिट प्रस्तुत की गयी कि प्रवक्ताओं की पदोन्नति व कनिष्ठ प्रवक्ताओं के मामले में जिनके नाम दूसरे अनुतोष खण्ड में दिये गये थे कि पदोन्नति को रद्द करने का आह्वान और प्रतिवादी सं0–1 को यह भी निर्देशित किया जाये कि वह याचिकाकर्ता को उधम सिंह नगर या हरिद्वार के सरकारी महाविद्यालय या उत्तराखंड राज्य के किसी मैदानी जिले में नियुक्ति के लिए उपयुक्त स्थान पर रखकर पदोन्नति का आदेश पारित करें।

11. आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.05.2017 जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उक्त रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, वास्तव में आदेश दिनांकित 11.05.2017 वह आदेश था जिसे रिट याचिका सं0–(एस/एस) सं0–463 सन् 2017 में याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पारित किया गया था। हालाँकि, हमें इस तथ्य से बाध्य नहीं होना चाहिए कि रिट याचिका (एस/एस) नं0–1351/2017, पदोन्नति के लिए दावा करने वाली एक रिट याचिका थी, इसके साथ ही उस आदेश को निरस्त करने हेतु थी जिसमें याचिकाकर्ता के पदोन्नति को चुनौती देने वाले अभिवेदन को तय करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट याचिका, जो दिनांक 31. 05.2018 को प्रस्तुत किये जाने के बाद से अभी भी लम्बित है, और आज तक उस पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए, यह न्यायालय उक्त रिट याचिका के गुण–दोष पर विचार–विमर्श नहीं कर रहा है, जिस पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

12. याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका (एस/एस) सं0–1351 सन् 2017 (ऊपर निर्दिष्ट) के विचाराधीन रहने के दौरान एक तीसरी **रिट याचिका (एस/एस) नं0–2169 सन् 2018** प्रस्तुत की, उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं0–3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.03.2018 को चुनौती दी थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पदोन्नति के उद्देश्यों के साथ–साथ उनकी शारीरिक बीमारी पर विचार कर उसको उत्तराखंड के मैदानी जिलों में उनकी पोस्टिंग करने हेतु एक अभ्यावेदन दिया था जिसे संभागीय अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल

मंडल, पौड़ी द्वारा दिनांक 17.03.2018 को खारिज कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में रिट याचिका (एस/एस0 नं0–1351 सन् 2017 प्रस्तुत की गयी (जो लंबित थी)।

13. इस रिट याचिका (एस/एस) सं0–2169 सन् 2018 में भी याचिकाकर्ता द्वारा दूसरा अनुतोष यह मांगा गया था कि रिट याचिका के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की जांच करके व कार्यवाही को पूरा कर, याचिकाकर्ता को हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में पदोन्नत करने का एक उपयुक्त आदेश पारित किया जाये। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका (एस/एस) सं0–2169 सन् 2018 अभी भी लम्बित है जिसे गुण–दोष पर निस्तारित नहीं किया गया है, इसलिए इस स्तर पर, मैं इस रिट याचिका के गुण–दोष पर विचार नहीं कर रहा हूं।

14. उपरोक्त दो रिट याचिकाओं **डब्ल्यूपीएसएस नं0–1351 सन् 2017 और डब्ल्यू.पी.एस.एस. सं0–2169 सन् 2018,** के विचाराधीन रहने के दौरान, हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा परमादेश आदेश के माध्यम से लगातार पदोन्नति के अनुदान के लिए दावा किया जा रहा है, साथ ही साथ उसे उसकी पसंद के अनुसार एक मैदानी जिले में एक उपयुक्त स्थान पर रखा जाये जैसा कि वह नियमित रूप से रिट याचिकाओं में अनुरोध करता आ रहा है।

15. इनकी विचाराधीनता के दौरान, याचिकाकर्ता ने चौथी **रिट याचिका (एस/एस) सं0–2431 सन् 2019,** प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की थीः–

> ''क) प्रतिवादी सं0–3 के विरूद्ध परमादेश आदेश जारी करते हुये निर्देशित किया जाये कि प्रतिवादी सं0–3 याचिकाकर्ता के पूरे दस्तावेज प्रतिवादी सं0–1 व 2 को भेजे जिनका उल्लेख उसके द्वारा अपने पत्र दिनांकित 28.05.2019 (अनुलग्नक सं0–3) और प्रतिवादी सं0–2 के लिये भेजे हुये पत्र दिनांकित 03.08.2019 (अनुलग्नक सं0–4) में किया है।
>
> ख) प्रतिवादी सं0–1 व 2 के विरूद्ध परमादेश आदेश जारी करते हुये निर्देशित किया जाये कि प्रतिवादी सं0–1 व 2 प्रतिवादी सं0–3 के कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने के बाद उचित निर्णय लें। जैसा

कि उन्होंने क्रमशः अपने कार्यालय पत्र दिनांकित 28.05.2019 व दिनांकित 03.08.2019 के माध्यम से पूछा है।

ग) कोई अन्य या आगे की रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी करें।

घ) याचिकाकर्ता को याचिका का खर्च दिलाया जाये ''

16. वास्तव में, यदि रिट याचिका पर एक बार फिर विचार किया जाता है, तो यह एक परमादेश आदेश थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी सं0–3 को यह निर्देश देने हेतु दायर किया गया था कि वह पदोन्नति से सम्बन्धित रिट याचिका के लिये सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने के बाद याचिकाकर्ता के दावे के सम्बन्ध में निर्णय लें। इस रिट याचिका डब्ल्यू.पी.एस.एस. नं0–2431 सन् 2019 को एक बार फिर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निर्णय दिनांकित 23.10.2019 से निस्तारित किया गया था। निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः–

''कुछ समय तक बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी प्रार्थना को वहां तक सीमित रखा जहां तक याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या–3 के समक्ष अभिवेदन करने की अनुमति दी जा सके और सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से किये गये निवेदन पर विचार करते हुये रिट याचिका का निस्तारण करते हुये याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी परेशानी का निवारण करने से सम्बन्धित अभिवेदन प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर समक्ष प्राधिकारी कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें।

यदि कोई आवेदन लंबित हो तो उसका भी निस्तारण कर दिया जाये।

इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति आज ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को नियमों के अनुसार प्रदान की जाए।''

अर्थात रिट याचिका के गुण–दोष पर कोई अधिनिर्णयन नहीं हुआ।

17. वास्तव में, रिट याचिका का निस्तारण प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की समस्या के निवारण के लिए याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ दिया गया था जो पदोन्नति के अनुदान के लिए दावा की गई रिट याचिका में दिये गये अनुतोष के संबंध में सभी रिट याचिकाओं में सामान्य था। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा चतुराई से अनुतोष खण्ड को रिट याचिका की भाषा में रणनीति के तहत दायर किया था।

18. प्रतिवादी ने रिट याचिका दिनांकित 23.10.2019 के निस्तारण के बाद आदेश दिनांकित 23.10.2019 में दिये गये जारी निर्देशों पर विचार किया था और दिनांक 03.11.2019 के आदेश द्वारा मामले का निस्तारण किया था। याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर निर्णय लेने के इस आदेश दिनांक 03.11.2019 को याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य रिट याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, आदेश दिनांकित 23.10.2019 के अनुपालन में लिये गये निर्णय को याचिकाकर्ता के लिये अन्तिम माना जायेगा और वह इससे बाध्य होगा। रिट याचिका (एस/एस) सं0–180 सन् 2020, गिरीश कुमार बनाम राज्य उत्तराखंड व अन्य, संलग्नक 6 में दिये गये निर्णय से यह तथ्य स्पष्ट है। रिट याचिका (एस/एस) सं0–180 सन् 2020 का प्रासंगिक पैरा सं0–9 यहाँ नीचे दिया गया है :–

> ''9. कि याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.10.2019 की प्रति, प्रतिवादी सं0–1 व 2 को तामिल कराये, प्रतिवादी संख्या0–1 को दिनांक 08.11.2019 तक याचिकाकर्ता के अभिलेख निदेशक, विद्यालय शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया और निदेशक एवं सचिव के कार्यालय से अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पहले ही अभिलेख प्रस्तुत किये जा चुके हैं, लेकिन आज तक मामले में तेजी नहीं आई है और प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबंध में याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की जानकारी के लिए, अभिवेदन दिनांकित 03.11.2019 की प्रति एवं प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय से जारी सरकारी आदेश सं0–493/XXIV-नवसृजित/19-01(11)/2018 दिनांक 15.11.2019 के माध्यम से प्रतिवादी सं0–2 के लिये जारी निर्देश की प्रति इस रिट याचिका के साथ संलग्न की जा रही है जिसे **संलग्नक संख्या–6** के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।''

उपरोक्त रिट याचिका संलग्नक सं0–6 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:–

रिट याचिका नं0 2431/2019 दिनांक 23.10.2019 पारित आदेश उपरोक्त'' शासनादेशों के प्रत्यावेदन पदोन्नति के लिये सप्ताह में निस्तारित करने की कृपा करें। उसी पर निर्णय लेने के लिए।

गोपनीय आख्या रिक्त स्थान रा.इ.मा.वि. मानक (काशीपुर, उधम सिंह नगर/जि0 हरिद्वार

वर्ष 2011–12	**01.04.2011 से 31.03.2012**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली**
वर्ष 2012–13	**01.04.2012 से 31.03.2013**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली**
वर्ष 2013–14	**01.04.2013 से 31.03.2014**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली**
वर्ष 2014–15	**01.04.2014 से 31.03.2015**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली**
वर्ष 2015–16	**01.04.2015 से 31.03.2016**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली**
वर्ष 2016–17	**01.04.2016 से 31.03.2017**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली**

दिनांक 06.03.2017 को दिया प्रमाण पत्र विगत वर्ष में कोई प्रतिकूल प्रविष्टी नहीं मिली है तथा दिनांक 26.05.2017 को दिया प्रमाण कार्य व्यवहार आचरण अच्छा है।

वर्ष 2017–18	**01.04.2017 से 31.03.2018**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली (प्रमाण पत्र संलग्न)**
वर्ष 2018–19	**01.04.2018 से 31.03.2019**	**कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली (प्रमाण पत्र संलग्न)**

इस पर निदेशक (मा0शि) गढ़वाल मण्डल पौड़ी के निर्णय प्र0अ0/शिविर/110–116/2017–18 दिनांक 06.03.2018 (प्रतिकूल प्रविष्टी) आवश्यक पत्रांक संलग्न कर रहा हूँ–पदोन्नति के लिए अनुशंसित पत्रांक/पदोन्नति/दिनांक 21.02.2017 (अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 868/दिनांक 30.04 दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टी विलुप्त/समाप्त करते हुए पदोन्नति करने की कृपा करेंगे महान दया होगी। आपके आशीर्वाद का सदैव आकांक्षी।

ई.डब्ल्यू.पी. नं0–2169-2019 में तथा उपरोक्त सभी संलग्न है।

प्रार्थी,

गिरीश कुमार प्रवक्ता भौतिक विज्ञान

रा0इ0का0 लालढांग, हरिद्वार

19. याचिकाकर्ता ने 5वीं रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी, जो **रिट याचिका (एस/एस) नं0–180 सन् 2020,** जिसमें निम्नलिखित प्रभाव के लिए परमादेश आदेश मांग की हैः–

''(क) प्रतिवादी नं0–1 व 2 को निर्देश देने वाला परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वह मामले के तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले में त्वरित निर्णय लें।

(ख) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी नं0–1 और 2 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.10.2019 के आलोक में याचिकाकर्ता को उनके कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों का व प्रतिवादी द्वारा किये गये पृष्ठांकन का अध्ययन करने के सम्बन्ध में कोई उचित आदेश जारी करें।

(ग) कोई अन्य आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी करें।

(घ) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका का खर्च दिलवाया जाये।''

20. वास्तव में, यदि रिट याचिका (एस/एस) नं0–180 सन् 2020 के दूसरे अनुतोष को ध्यान में रखा जाये, तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा लिये गये निर्णय दिनांकित 03.11.2019 को चुनौती दिये बिना परमादेश आदेश के जरिए आदेश दिनांकित 23.10.2019 में दिये गये निर्देशों को लागू करने की मांग की है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका (एस/एस) संख्या–2431 सन् 2019 में पारित किया गया था।

21. यह रिट याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता के पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के दावे के संबंध में त्वरित निर्णय लेने के लिए परमादेश आदेश मांग की गई थी, का निस्तारण इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निर्णय दिनांकित 17.01.2020 द्वारा किया गया था, और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये थेः–

''याचिकाकर्ता के अधिवक्ता–श्री् एस0एस0 यादव,

उत्तराखंड राज्य की ओर से–श्री पी0सी0 बिष्ट, स्थायी अधिवक्ता के साथ संक्षिप्त धारक श्रीमती इंदु शर्मा।

याचिकाकर्ता द्वारा परमादेश की प्रकृति की एक रिट याचिका आदेश या निर्देश की मांग करते हुए दायर की गयी जिसमें प्रतिवादी सं0–1 व 2 को निर्देश देने की परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश की मांग की गई है कि प्रतिवादी नं0–1 व 2 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.10.2019 के आलोक में याचिकाकर्ता को उनके कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों का व प्रतिवादी द्वारा किये गये पृष्ठांकन का अध्ययन करने के सम्बन्ध में कोई उचित आदेश जारी करें।

कुछ समय तक बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी याचिका केवल इस हद तक सीमित कर दिया कि इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में छह सप्ताह की अवधि के भीतर अभिवेदन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देकर रिट याचिका का निस्तारण किया जाए, जिसका राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विरोध नहीं किया है।

पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से किये गये निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुये सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभिवेदन को निस्तारित करें। यदि पहले से ही निस्तारित नहीं है तो इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जारी आदेश दिनांकित 23.10.2019 के आलोक में याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें।

आपातकालीन आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

यदि कोई आवेदन लंबित हो तो उसका भी निस्तारण कर दिया जायेगा।''

22. इस रिट याचिका का निस्तारण प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था, यदि पहले से ही पारित आदेश के आलोक में निर्णय नहीं लिया गया था, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 23.10.2019 से पारित किया गया था।

23. रिट याचिका (एस/एस) सं0–180 सन् 2020 के निस्तारण के बाद, याचिकाकर्ता ने एक अवमानना याचिका सी.एल.सी.ओ.एन. नं0–305 सन् 2020 दायर की है, जो रिट याचिका (एस/एस) संख्या–180 सन् 2020 दिनांकित 17.01.2020 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने के आरोप लगाते हुए दायर की गयी, क्योंकि निर्णय दिनांकित 17.01.2020 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा अभिवेदन को निस्तारित नहीं किया गया था। आदेश दिनांकित 09.09. 2020 के द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। अवमानना याचिका भी इस न्यायालय के लंबित थी।

24. यह है कि अवमानना याचिका विचाराधीन रहने के दौरान, चूंकि दिनांक 17.01. 2020 के आदेश का अभिकथित रूप से पालन नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.07.2020 को एक आदेश पारित किया और आदेश सं0–विधि प्रकोष्ट–(माध्यमिक)/1640/2019–20 दिनांकित 22.02.2020 से याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। जिसे निदेशक शिक्षा द्वारा पारित किया गया है, का संदर्भ देते हुए आदेश डब्ल्यू.पी.एस.एस. सं0–2431 सन् 2019 दिनांक 23.10.2019 में पारित किया गया है, और उसे याचिकाकर्ता को आदेश दिनांकित 01.07.2020 के द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें सूचित किया गया था कि निदेशक ने दिनांक 22.02.2020 के आदेश द्वारा एक निर्णय लिया है, जिसे न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.01.2020 में पारित आदेश के अनुपालन में पारित किया गया था। यह आदेश है, जिसे मौजूदा रिट याचिका में चुनौती दी गई है, याचिकाकर्ता द्वारा एक बार फिर प्रधानाध्यापक के पद से सम्बन्धित पदोन्नति के लाभ प्रदान करने हेतु जैसा कि याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को दिया गया है, और साथ ही, प्रतिवादी संख्या–4 व 5 के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश के साथ परमादेश रिट के रूप में अनुतोष की मांग की थी। अनुतोष खण्ड जो **रिट याचिका (एस/एस) नं0–723 सन् 2021** मांगा गया है, नीचे वर्णित हैः–

> ''क) प्रतिवादी सं0–4 व 5 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.07.2020 को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाये। (रिट याचिका के लिए संलग्नक 1)
>
> ख) प्रतिवादी सं0–1 व 2 के विरूद्ध परमादेश की प्रकृति रिट, आदेश या निर्देश रिट याचिका में किये गये अनुरोध के अनुसार जारी करें कि

वह याचिकाकर्ता को हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित लाभ प्रदान करें जैसा कि याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को दिये गये हैं।

ग) परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश और निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाये कि वह प्रतिवादी सं0–4 व 5 के विरूद्ध याचिकाकर्ता के मामले में भ्रामक और गलत निर्णय लेने के लिए कार्यवाही करें जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

घ) कोई अन्य आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी करें।

ड़) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका का खर्चा दिलाया जाये।''

25. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस रिट याचिका पर तर्क दिया कि रिट याचिका दिनांकित 25.06.2021 इस आधार पर दायर की गयी थी कि आदेश दिनांकित 01.07.2020 को विलम्ब से चुनौती दी गयी है, इस आधार पर शिक्षा विभाग के तहत बनाए गए विभिन्न प्राधिकरणों को जिम्मेदारियों का वितरण जिसे सरकारी आदेश सं0–599(1)/XXIV-2/2012-6(3)2012, दिनांकित 09.10.2012 में अधिसूचित किया गया है। उनका तर्क है कि निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के वितरण के आलोक में, निदेशक मामले का निर्णय करने के लिये सक्षम था ना कि अतिरिक्त निदेशक, जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.07.2020 पारित किया गया है, जिसे वर्तमान रिट याचिका डब्ल्यू.पी.एस.एस नं0–723 सन् 2021 में चुनौती दी गई है।

26. इसके अलावा तर्क दिया गया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, हालांकि वह अपनी सभी पात्रताओं को पूरा करने के बावजूद, पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए, वे जानबूझकर याचिकाकर्ता के पदोन्नति से सम्बन्धित दस्तावेजों पर विचार करने से बच रहे हैं।

27. इसके जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.07.2020 में अतिरिक्त निदेशक की क्षमता के सम्बन्ध में उठाए गए कानूनी याचिका का जवाब देते हुए राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी

वकील, श्री पी0सी0 बिष्ट द्वारा तर्क दिया गया है कि वास्तव में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सरकारी आदेश दिनांकित 09.10.2012 के आलोक में तर्क देते हुए कि यह निदेशक है, जो शिक्षकों के मामले के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सक्षम है, वास्तव में, इसका अक्षरशः और अर्थतः से पालन किया गया है और अपने तर्क को सही ठहराने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आदेश के उस हिस्से की ओर आकर्षित किया है, जिसमें अतिरिक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मंडल, पौड़ी द्वारा याचिकाकर्ता को सूचना दी गयी थी और कहा है कि वास्तव में प्रमुख आदेश दिनांकित 22.02.2020 निदेशालय द्वारा पारित किया गया है। इसलिए, वह आदेश को प्रस्तुत करना चाहता है, जिसे यहाँ नीचे दिया गया है :–

> ''निदेशालय के आदेश सं0/विधि प्रकोष्ट–(माध्यमिक)/1640/2019–20 दिनांक 22 फरवरी 2020 निर्गत कर निस्तारण किया जा चुका है, जो कि याची को भी पृष्ठांकित हैं। निदेशालय के उक्त आदेश के सम्बन्ध में याची को अवगत कराया गया कि सक्षम स्तर से मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है साथ ही रिट याचिका सं0 2431/एस0एस0/2019 में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी प्रतिवादी नहीं है इस कारण उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में मण्डल कार्यालय से आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है।''

28. वास्तव में, याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर दिनांक 22.02.2020 को निदेशक द्वारा निर्णय लिया गया है, न कि अतिरिक्त निदेशक द्वारा, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, क्योंकि विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता के बहस के अनुसार, यह केवल एक आदेश की सूचना थी जो अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी की गयी थी, न कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांकित 17.01.2020 को जारी निर्देशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के दावे का निस्तारण करने का प्रमुख आदेश था, इसे उस निष्कर्ष से स्पष्ट किया जा सकता है जिसमे निदेशालय का आदेश दिनांकित 22.02.2020 के संदर्भ में पारित निर्णय को याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया है।

29. इस प्रकार याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अतिरिक्त निदेशक द्वारा पारित किया गया सरकारी आदेश दिनांकित 09.10.2012 कायम रखने योग्य नहीं

है, क्योंकि वह उसे पारित करने के लिए सक्षम नहीं था, वास्तव में, याचिकाकर्ता के अभिवेदन को निस्तारित करने से सम्बन्धित प्रमुख आदेश दिनांकित 17.01.2020 को निर्देशित किया गया है, **निदेशालय द्वारा 22.02.2020 को पारित किया गया है, और उक्त आदेश को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा इसे चुनौती दी गई है।** इसलिए, अतिरिक्त निदेशक की क्षमता के संबंध में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कायम रखने योग्य नहीं है और इस तथ्य के आलोक में भी है कि यदि अतिरिक्त निदेशक की शक्तियां, जो सरकारी आदेश दिनांक 09.10.2012 के तहत दी गई हैं, विशेष रूप से उप–खंड (2) में, ध्यान में रखी जाती हैं, तो प्रतिनिधि मंडल की शक्ति निदेशक के पास अतिरिक्त निदेशक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निहित की गई है और एक निर्णय का संचार जो निदेशालय द्वारा 22.02.2020 पर किया गया था, जिसका अर्थ यह होगा कि प्रमुख निर्णय केवल अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांकित 09.10.2012 के उप–खंड (2) के अनुपालन में सूचित किया गया था, जहां कार्य वितरण अतिरिक्त निदेशक को सौंपा गया है।

30. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस की परिणति के बाद तर्क दिया था कि उन्हें एक अवसर दिया जाए या प्रतिवादीगण को उस आदेश की प्रति देने के लिए निर्देश जारी किए जाए जिसे अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 22.02.2020 को पारित किया गया। वास्तव में, इस स्तर पर इस प्रार्थना को इस कारण से स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जाता है कि यह रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला नहीं है, जिसने कभी भी किसी भी स्तर पर अनुरोध किया है कि निदेशक द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.02.2020 कभी भी उस पर लागू नहीं किया गया था या यह उसकी जानकारी में नहीं था। उक्त प्रभाव के कोई अभिवचन न होने के कारण और निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय दिनांकित 22.02.2020 के सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया जाता है कि आदेश याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उसे चुनौती नहीं दी गयी। निदेशक के आदेश दिनांकित 22.02. 2020 को चुनौती दिए बिना, संचार तिथि 01.07.2020 स्वयं आदेश दिनांकित 01.07. 2020 के विरूद्ध दायर वर्तमान रिट याचिका के सम्बन्ध में उसे वाद हेतुक प्रदान नहीं करती है, (दिनांक 01.07.2020 के आक्षेपित आदेश में संदर्भित)। यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देने के अपने अधिकारों को गवां दिया है।

31. ऊपर दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिट याचिकाओं की सत्यता की जांच करते हुए, यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने एक ही वाद हेतुक के आधार पर कई रिट याचिकाएं दायर की हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का आह्वान स्वीकार्य नहीं है और विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था कि पदोन्नति के अनुदान के लिए विचार करने वाली दो रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष लम्बित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों **उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2008 (1) एस.सी.सी. 560,** के आलोक में उपरोक्त तर्कों की पुष्टि होती है। उक्त निर्णय के पैरा 10 और 16 को नीचे दिया गया हैः–

> ''10. हालाँकि चार रिट आवेदनों द्वारा की गई याचनायें स्पष्ट रूप से अलग हैं, रिट आवेदनों को देखने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक मामले द्वारा मुख्य विवाद बैंक द्वारा अपीलार्थियों को दी गई राशि की वसूली पर केंद्रित है। जाहिर है, कार्यवाही के विभिन्न चरणों में पारित आदेशों के साथ–साथ मूल राशि पर ब्याज सम्बन्धित नई गणना के आधार पर नई कार्यवाही पर भी समय–समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया है, यहाँ तक कि एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसमें अपीलकर्ता नं0–2 एक पक्षकार थी। शायद उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा–35ए की वैधता उठाए गए मुद्दों में से एक था, लेकिन यहां तक कि वसूली की कार्यवाही भी इसका विषय था।
>
> 16. एक रिट उपचार एक न्यायसंगत उपचार है। उच्च न्यायालय में जाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसे न केवल किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना चाहिए, बल्कि बार–बार कानूनी कार्यवाही का सहारा भी नहीं लेना चाहिए जो कानून की आदेशिकाओं का दुरुपयोग है। <u>अधिवक्ता जनरल, बिहार राज्य बनाम एम./एस. मध्य प्रदेश खैर उद्योग और अन्य</u> (1980) 3 एस.सी.सी. 311, इस न्यायालय की राय थी कि रिट याचिकाओं को बार–बार दायर करना आपराधिक अवमानना के बराबर है।''

32. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने **मैसर्स इंटीग्रेटेड टेक 9 लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यू0पी0 राज्य व 2 अन्य, रिट टैक्स सं0–1492 सन् 2020** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

> ''उपरोक्त रिट याचिका को खारिज किए जाने के मद्देनजर इस याचिका में दिए गए आदेश दिनांकित 31.01.2018 को चुनौती देने के संबंध में मामला समाप्त हो गया है। यदि हम याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका में उक्त आदेश को चुनौती देने की अनुमति देते हैं तो यह पहले की रिट याचिका में निहित कार्रवाई के कारणों में से एक के लिए लगातार रिट याचिकाएं दायर करने के बराबर होगा। यह व्यवस्थित कानून है कि एक ही वाद हेतुक के लिए लगातार रिट याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं और सभी प्रश्न जो लिए जा सकते थे या लिए जाने चाहिए थे और यदि तय नहीं किए गए थे, तो उन्हें निर्णीत या अस्वीकार माना जाएगा।''

33. इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर छठी रिट याचिका जो एक ही वाद हेतुक के आधार पर दायर की गयी थी, विचार करते हुए याचिकाकर्ता इस न्यायालय से रिट याचिकाओं के समायोजन की अनुमति देने का अधिकारी नहीं है, इसका कारण यह है कि उसने अदालत का रुख स्वच्छ हाथों से नहीं किया है क्योंकि तथ्यों को लगातार छिपाया गया था और जब अंतिम रिट याचिका पर विचार किया गया तो न्यायालय के संज्ञान में सच्चे और सही तथ्य आये जिसे सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के साथ निस्तारित किया गया था। **जी. नारायणस्वामी रेड्डी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1726,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय में, यह कहा गया है कि रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। पैरा–2 के प्रासंगिक भाग के लिए एक संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे यहां दिया गया हैः–

> ''2. याचिकाकर्ता कुछ भूमि के मालिक थे जिन्हें बैंगलोर विकास अधिनियम, 1976 की धारा 17 और 19 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। बैंगलोर अधिनियम को इसके बाद संदर्भित किया है'') बैंगलोर अधिनियम की धारा–36 के प्रावधानों के तहत, जहां अधिग्रहण

इकरारनामा के अलावा किया जाएगा, वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगा, जहां तक कि वह प्रावधान लागू होते हैं, (''भूमि अधिग्रहण अधिनियम इसके बाद संदर्भित किया गया है'') धारा 11–ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसे उक्त अधिनियम 1984 में शामिल किया गया था, जैसा कि इसके बाद निर्धारित किया गया है, बहुत संक्षेप में कहा गया है कि कलेक्टर को घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर अपना अधिनिर्णय देना होगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। ''धारा–11ए के प्रथम परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन'', वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अन्य बातों के साथ साथ इन मामलों में अवार्ड धारा–4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के दो साल के भीतर नहीं दिया गया, जिस कारण अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई थी। उस दलील को उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ अन्य दलीलों के साथ खारिज कर दिया गया था, जिसे हमारे समक्ष आक्षेपित करने की मांग की गई है। इस संबंध में जिन प्रासंगिक तिथियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैंः–

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4 की घोषणा करने वाली अधिसूचना के तहत विवादित भूमि के सम्बन्ध में 20 सितम्बर 1977 को बनाया गया था। 20 सितंबर, 1984, को धारा 11–ए भूमि अधिग्रहण में लाई गई थी जिसे भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम, 1984 के द्वारा लागू किया गया था। धारा 11ए के पहले परंतुक के तहत यह विहित किया गया था कि जहां उक्त उद्घोषणा (धारा 4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम) भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम 1984 के लागू होने से पहले प्रकाशित की गयी है तो अवार्ड अधिनियम लागू होने के दिनांक से दो साल के भीतर दिया जाना चाहिए। अतः यह अवार्ड 20 सितंबर, 1984 से दो साल के भीतर दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 14 अगस्त, 1984 के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका सं0–294 सन् 1985 में इस अदालत से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया जिसमें भूमि के कब्जे के संबंध में

यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखते हैं। कथित विशेष अनुमति याचिका सं0–294 सन् 1985 को दिनांक 29 अप्रैल, 1987 को खारिज कर दिया गया था। 16–17 दिसंबर 1987 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अवार्ड निर्धारित समय के भीतर नहीं दिए गए थे। इन दो रिट याचिकाओं में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इन याचिकाओं को 29 नवंबर, 1988 को उस उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपीलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर, 1989 को उस उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इन विशेष अनुमति याचिकाओं, एसएलपी सं0–823 और 824 सन् 1990 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया था और उसमें बेदखल करने से सम्बन्धित अंतरिम रोक प्राप्त की। धारा 11ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्थगन आदेशों का अंतिम प्रभाव जो भी हो जिस पर हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यह विवाद से परे है कि स्थगन आदेशों का तथ्य इन विशेष अनुमति याचिकाओं के निर्धारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। दिलचस्प बात यह है कि विशेष अनुमति याचिकाओं में स्थगन आदेशों का कोई संदर्भ नहीं है और हमें इन आदेशों के बारे में तभी पता चला जब प्रतिवादी नोटिस के जवाब में उपस्थित हुए और अपना जवाबी शपथ पत्र दायर किया। हमारे विचार में, उक्त अंतरिम आदेशों में उठाए गए प्रश्न पर सीधा असर पड़ता है और इसका खुलासा न करना निश्चित रूप से महत्वूर्ण तथ्यों को छिपाने के बराबर है। केवल इसी आधार पर विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं। यह विधि में प्रावधानित है कि अनुतोष के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 विवेकाधीन है और एक याचिकाकर्ता जो इस तरह के अनुतोष के लिये न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है उसे तथ्यों के स्पष्ट और पूर्ण प्रकटीकरण के साथ आना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है, तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है। तदनुसार हम विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हैं।''

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय **के0आर0 श्रीनिवास बनाम आर0एम0 प्रेमचन्द व अन्य 1996(6) एस.सी.सी. 620,** के पैरा सं0–7 में दिए जाने वाले निहितार्थों के बारे में, जब कोई व्यक्ति अस्वच्छ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाता है, के सिद्धांतों पर विचार किया था, उक्त निर्णय का पैरा 7 नीचे दिया गया हैः–

> ''7. यह नहीं भुलाया जा सकता है कि एक रिट याचिकाकर्ता जो जनहित में राहत के लिए अदालत में आता है, उसे किसी भी अन्य रिट याचिकाकर्ता की तरह न केवल साफ हाथों के साथ आना चाहिए, बल्कि एक साफ दिल, साफ दिमाग और एक साफ उद्देश्य के साथ आना चाहिए। हम यह नहीं मान सकते कि डॉ आर0एम0 प्रेमचंद, जो प्रासंगिक समय में एक शोध विद्वान थे और विश्वविद्यालय का एक अंश थे, इसके तहत नियमों को नहीं जानते थे कि उत्तर पुस्तिकाओं को अधिकारियों के औपचारिक आदेशों के तहत परीक्षा के छह महीने के भीतर नष्ट कर दिया जाता है। हम यह नहीं मान सकते कि जब उन्होंने जनहित के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था तो डॉ आर0एम0 प्रेमचंद को उस समय श्रीनिवास की उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने के बारे में पता नहीं था। अगर यह हमारी धारणा है तो डॉ0 आर0एम0 प्रेमचंद के पास उस विलंबित समय में जनहित में उच्च न्यायालय जाने का कोई अधिस्थिति नहीं थी। इसलिए, हम श्रीनिवास की अपील को स्वीकार करते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के रिट याचिका नं0–53 सन् 1993 में पारित आदेश दिनांकित 17.12.1993 को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के प्रभावी भाग को इस आधार के साथ जोड़ा गया कि डॉ. आरएम प्रेमचंद को उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय का रुख करने का कोई अधिस्थिति नहीं थी। एक सीक्वल के रूप में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फेसले में प्रोफेसर के0वी0 रमन्ना के खिलाफ सभी टिप्पणियां न केवल हटा दी गयी, लेकिन जिस पूरे आधार पर वे बाकी रहते हैं, वह भी मिटा दिया गया। उसकी अपील को भी अनुमति दी जाती है।''

35. फ्रायडेनबर्ग नोक संयंत्र 1 और 2 श्रमिक संघ बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में, चंडीगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः–

> ''इस स्तर पर, यह देखा जा सकता है कि रिट याचिकाएं दायर करते समय, याचिकाकर्ता को सूचकांक और प्रासंगिक पैरा में एक खुलासा करने की आवश्यकता होती है, यदि ऐसी या इसी तरह की समान याचिका लंबित है या निर्णय लिया गया है तो दोनों रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, में वाद हेतुक में अंतर, यदि कोई हो, तो भी उसका खुलासा करना आवश्यक है, इसके अलावा रिट याचिकाकर्ता कारणों का खुलासा करेगा कि बाद की याचिका में दावा किए गए अनुतोष का दावा क्यों नहीं किया जा सका या पहले से स्थापित याचिका में उसे शामिल क्यों नहीं किया जा सका। ये टिप्पणियां/दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं क्योंकि कई रिट याचिकाएं दायर करने से बचा जाना चाहिए। न्यायालयों के पास पहले से ही ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ रखी है। कई याचिकाएं दायर करना न तो न्याय के हित में है और न ही न्यायिक संस्थान के हित में है। इसके परिणामस्वरूप उस संस्थान का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है जिसमें बार और बैंच समान भागीदार हैं। इस संस्थान की स्थापना 8 में 7 सी.डब्ल्यू.पी0–9204–2020 (ओ. एंड एम.)–8 के लिए एक ईमानदार प्रयास करने के लिए की गई है।''

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए भी, रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने योग्य नहीं है।

36. इस पूरे विवाद को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। नजरिया उस नजरिये से है जिसमें रिट याचिका में जहां एक आदेश दिनांकित 07.01.2020 द्वारा अभ्यावेदन तय करने का निर्देश जारी किया गया था। न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने से चूक गया है कि प्रतिवादी द्वारा अभ्यावेदन पर पहले ही दिनांक 03. 11.2019 को निर्णय लिया जा चुका था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त तथ्य के लोप में दिनांक 17.01.2020 पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए अभ्यावेदन को तय करने के लिए रिट याचिका का निस्तारण करते हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष सत्य और सही तथ्य लाए बिना प्राप्त किया गया आदेश था, इसलिए उस स्थिति में, जहां पूरे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष विस्तार से नहीं बताया गया है, और सही तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गए हैं और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 17.01.2020 को एक निर्देश जारी किया गया है; यह अपने आप में एक आदेश

होगा जो न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को रिकॉर्ड पर न लाकर और विशेष रूप से निदेशक द्वारा दिनांक 03.11.2019 और 22.02.2020 को पहले ही लिए गए निर्णय के तथ्य को रिकॉर्ड पर लाकर प्राप्त किया गया है, इसलिए, इसमें अंततः दिनांक 01.07.2020 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क, जो कि केवल संचार है जो दिनांक 22.02.2020 को निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में अतिरिक्त निर्देशक द्वारा जारी किया गया था। जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है, इस न्यायालय ने, उतार–चढ़ाव वाले इतिहास को देखते हुए, और विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि पिछली दो रिट याचिकाएं अभी भी विचाराधीन है, याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन और विशेष रूप से रिट पर निर्णय लेने के आदेश प्राप्त करके ऊपर वर्णित कईं रिट याचिकाएं दायर करने की स्वतन्त्रता लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका, जो लगातार छठी है, इस प्रकार इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के रूप में छूट के सिद्वान्तों पर भी, दिनांक 03.11.2019 और 22.02.2020 की आदेशों को चुनौती नहीं दी गयी है, वर्तमान रिट याचिका चलने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्ए है। चूंकि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाया है और लगातार रिट दायर करके दिनांक 17. 01.2020 के आदेश पर कार्यवाही करते हुए अदालत को गुमरा किया है। तथ्यों को छिपाकर दायर की गई रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्ए है।

37. इसलिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इन्कार करता है, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.एस.एस. नं0–723 सन् 2021 का, तदनुसार खारिज की जाती है।

38. रिट याचिकाएँ, डब्ल्यू.पी.एस.एस. नं0–1351 सन् 2017 और डब्ल्यू.पी.एस.एस. सं0–2169 सन् 2018 को अलग करने का निर्देश दिया जाता है और स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि इन्हें गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किए जा सके। इस निर्णय की प्रति उपरोक्त दो लंबित रिट याचिकाओं पर रखी जाए। अवमानना याचिका सी.एल.सी.ओ.एन. नं0–305 सन् 2020, अवमानना याचिका में ही पारित एक आदेश द्वारा अलग से तय किया गया है।

(जस्टिस शरद कुमार शर्मा)

महिंदर/ 13.07.2021